29/12/17 वकील उभय पक्ष उप०। वकील प्रति० ने प्रतिवादी महेन्द्र कौर का शपथ-पत्र पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते आयन्दा कार्यवाही दिनांक 2/1/18 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

2/1/18 वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 15/1/18 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

15/1/18 वकुलाए फरिकैन उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादिया अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

2

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिहं पुरोहित, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः—321/2017/88 आरटीए

अमरजीत कौर धर्मपत्नि स्व0 श्री मोठा सिहं पुत्र स्व0 श्री शेर सिहं, जाति जटसिख, निवासी वार्ड नम्बर—43, सुरेशिया, हनुमानगढ़ जं0, तहसील व जिला हनुमानगढ़—

——वादिया——

बनाम

1. महेन्द्र कौर (पुत्री स्व0 श्री शेर सिहं) धर्मपत्नि श्री दलीप सिहं, जाति जटसिख, निवासी चक ज्वालासिहंवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (पंजाब)
2. बृज कौर उर्फ सरजीत कौर (पुत्री स्व0 श्री शेर सिहं) धर्मपत्नि श्री शेर सिहं, जाति जटसिख, निवासी चक बीडसरकार, तहसील व जिला मुक्तसर (पंजाब)
3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़—

——प्रतिवादीगण——

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित 1. श्री लालचन्द वर्मा, अधिवक्ता—वादिया
2. श्री भानुप्रताप सिहं—अधिवक्ता—प्रतिवादीगण सं0 1 व 2

निर्णय दिनांकः— 15.1.18

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने यह वादपत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि स्व0 श्री मोठा सिहं पुत्र स्व0 श्री शेर सिहं वादिया के पति है। वादिया एवं स्व0 श्री मोठा सिहं लावल्द है। स्व0 श्री मोठा सिहं का दिनांक 17—09—2010 को गंभीर बीमारी के कारण देहान्त हुआ है। वादिया अपने पति स्व0 श्री मोठा सिहं की एक मात्र उतराधिकारी एवं वारिस है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) हनुमानगढ़ ने दीवानी वाद संख्या—146/2011 शीर्षक ''अमरजीत कौर बनाम सर्वसाधारण आदि'' निर्णय दिनांक 08—05—2012 में वादिया को स्व0 श्री मोठा सिहं का जायज व कानूनी वारिस घोषित किया है। वादिया के पति स्व0 श्री मोठा सिहं की खातेदारी कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 2 एमओडी ''ए'' के खाता संख्या—86/73 में पत्थर नम्बर—94/255 (5) के किला नम्बर—9 से 12, 19/1 में 0.10, 20—21, पत्थर नम्बर—93/255 (6) के किला नम्बर—6, 11 से 25 कुल 22 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 5.693 हैक्टेयर व चक 7 जेआरके के खाता संख्या—75/75 में पत्थर नम्बर—92/255 (43) के किला नम्बर—13, 16 से 25, पत्थर नम्बर—91/256 (45) के किला नम्बर—5—6 कुल 13.00 बीघा अर्थात 3. 289 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों चकों की कुल 35 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 8.982 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस भूमि में से स्व0 श्री मोठा सिहं ने अपनी सगी बहिनों प्रतिवादीगण संख्या—1 व 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड दानपत्र विलेख दिनांक 14—09—2010 के जरिये चक 2 एमओडी''ए'' के खाता संख्या—86/73 में से पत्थर नम्बर—93/255 (6) के किला नम्बर—11 से 13, 17 से 24 कुल 11 बीघा व चक 7 जेआरके के खाता संख्या—75/75 में से पत्थर नम्बर—92/255 (43) के किला नम्बर—13, 16 से 25 व पत्थर नम्बर—91/256 (45) के किला नम्बर—5—6 कुल 13 बीघा कुल तादादी 24 बीघा अर्थात 6.072 हैक्टेयर दान कर दी तथा शेष भूमि चक 2 एमओडी''ए'' के खाता संख्या—86/73 पत्थर नम्बर—94/255 (5) के किला नम्बर—9 से 12, 19/1 में 0.10, 20—21 व पत्थर नम्बर—93/255 (6) के किला नम्बर—6, 14 से 16, 25 कुल 11 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 2.910 हैक्टेयर स्व0 श्री मोठा सिहं

सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

की शेष रही। वादिया ने स्व0 श्री मोठा सिहं की एक मात्र वारिस होने का कथन कर वादपत्र की चरण संख्या–5 में वर्णित उक्त 11 वीघा 10 बिस्वा अर्थात 2.910 हैक्टेयर के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है तथा दानपत्र में वर्णित 24 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 की बहिस्सा बराबर होना स्वीकार किया है। मुताबिक घोषणा वादिया ने अपनी व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 की भूमि राजस्व अभिलेख में पृथक–पृथक अमलदरामद किये जाने का निवेदन किया है।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 ने जवावदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुये वादिया के पक्ष में वादपत्र में वर्णित 11 वीघा 10 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने में सहमति प्रकट की है तथा स्व0 श्री मोठा सिहं द्वारा निष्पादित दानपत्र विलेख दिनांक 14–09–2010 में वर्णित 24 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 की बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किये जाने व तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किये जाने का निवेदन किया। वादिया ने प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के काउण्टर क्लेम को स्वीकार किये जाने में कोई आपति न होना प्रकट किया है। प्रतिवादी संख्या–3 ने जबाव प्रस्तुत करते हुये वादिया के वादपत्र में याचित अनुतोष से राज्य हित प्रभावित नहीं होने का कथन किया है।

उभयपक्षों के अभिवचनों में कोई विरोध नहीं होने से विवाधक विरचित नहीं हुये। वादिया ने बतौर पीडब्ल्यू–1 अपनी साक्ष्य में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 की ओर से बतौर डीडब्ल्यू–1 महेन्द्र कौर ने अपना साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। वादिया ने अपने वादपत्र के समर्थन में अपने पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–1 व न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत दीवानी वाद संख्या–146/2011 में पारित निर्णय दिनांक 08–05–2012 प्रदर्श–2 व डिक्री प्रदर्श–3 तथा चक 2 एमओडी''ए'' के खाता संख्या–86/73 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–4 व चक 7 जेआरके के खाता संख्या–75/75 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–5 व दोनों चकों की कृषि भूमि को दर्शाते हुये नजरी नक्शा प्रदर्श–6 प्रस्तुत किया है। स्व0 श्री मोठा सिहं द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड दानपत्र विलेख दिनांक 14–09–2010 को प्रदर्श–7 के रूप में प्रदर्शित किया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 ने वादिया के वादपत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है व इसी प्रकार वादिया ने प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के काउण्टर क्लेम को डिक्री किये जाने में अनापति प्रकट की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत कृषि भूमि चक 2 एमओडी''ए'' के खाता संख्या–86/73 व चक 7 जेआरके खाता संख्या–75/75 राजस्व अभिलेख में श्री मोठा सिहं पुत्र श्री शेर सिहं जाति जटसिख के नाम दर्ज है। प्रदर्श–1 मृत्यु प्रमाण–पत्र के अनुसार मोठा सिहं का दिनांक 17–09–2010 को देहान्त हुआ है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिग्री प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 के अनुसार वादिया को स्व0 श्री मोठा सिहं पुत्र श्री शेर सिहं का जायज व कानूनी वारिस घोषित किया गया है। स्व0 श्री मोठा सिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि में से वादपत्र में वर्णित 24 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 को बहिस्सा बराबर रजिस्टर्ड दानपत्र विलेख दिनांक 14–09–2010 दान की है जो प्रदर्श–7 है। इस प्रकार स्व0 श्री मोठा सिहं की दोनों चकों की कुल 35 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 स्व0 श्री मोठा सिहं द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड दानपत्र विलेख के आधार पर 24 बीघा भूमि की बहिस्सा बराबर की खातेदार घोषित किये जाने योग्य है व शेष 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्व0 श्री मोठा सिहं पुत्र श्री शेर सिहं की जायज

Scanned by CamScanner

4

वारिस होने के कारण वादिया एकल खातेदार घोषित किये जाने योग्य है। इस प्रकार वादपत्र वादिया व काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादपत्र वादिया व काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि स्व0 श्री मोठा सिहं पुत्र श्री शेर सिहं के नाम दर्ज खातेदारी भूमि तहसील हनुमानगढ के चक 2 एमओडी''ए'' खाता संख्या–86/73 सम्वत 2069–2072 तादादी 5.693 हैक्टेयर व चक 7 जेआरके खाता संख्या–75/75 सम्वत 2070–2073 तादादी 3.289 हैक्टयर कुल 8.982 हैक्टेयर अर्थात 35 बीघा 10 बिस्वा में प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 चक 2 एमओडी में स्थित कृषि भूमि पत्थर नम्बर–93/255 (6) के किला नम्बर–11 से 13, 17 से 24 व चक 7 जेआरके में स्थित कृषि भूमि पत्थर नम्बर–92/255 (43) किला नम्बर–13, 16 से 25 व पत्थर नम्बर–91/256 (45) किला नम्बर–5–6 कुल 24 बीघा अर्थात 6.072 हैक्टेयर के बहिस्सा बराबर के खातेदार है तथा वादिया चक 2 एमओडी के पत्थर नम्बर–94/255 (5) के किला नम्बर–9 से 12, 19/1 में 0.10, 20–21 व पत्थर नम्बर–93/255 (6) किला नम्बर–6, 14 से 16, 25 कुल 11 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 2.910 हैक्टेयर की एकल खातेदार है। उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या–3 को राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.1.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिहं पुरोहित)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी अधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः–सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

बईजलासः–सुरेन्द्र सिहं पुरोहितं, आर0ए0एस0
श्रीमति अमरजीत कौर बनाम महेन्द्र कौर आदि
दावा बाबत 88 आरटीए मुकदमा नम्बर 321 वर्ष 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री लालचन्द वर्मा–अधिवक्ता–वादिया व श्री भानुप्रताप सिहं–अधिवक्त–प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादपत्र वादिया व काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि स्व0 श्री मोठा सिहं पुत्र श्री शेर सिहं के नाम दर्ज खातेदारी भूमि तहसील हनुमानगढ के चक 2 एमओडी''ए'' खाता संख्या–86/73 सम्वत 2069–2072 तादादी 5.693 हैक्टेयर व चक 7 जेआरके खाता संख्या–75/75 सम्वत 2070–2073 तादादी 3.289 हैक्टयर कुल 8.982 हैक्टेयर अर्थात 35 बीघा 10 बिस्वा में प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 चक 2 एमओडी में स्थित कृषि भूमि पत्थर नम्बर–93/255 (6) के किला नम्बर–11 से 13, 17 से 24 व चक 7 जेआरके में स्थित कृषि भूमि पत्थर नम्बर–92/255 (43) किला नम्बर–13, 16 से 25 व पत्थर नम्बर–91/256 (45) किला नम्बर–5–6 कुल 24 बीघा अर्थात 6.072 हैक्टेयर के बहिस्सा बराबर के खातेदार है तथा वादिया चक 2 एमओडी के पत्थर नम्बर–94/255 (5) के किला नम्बर–9 से 12, 19/1 में 0.10, 20–21 व पत्थर नम्बर–93/255 (6) किला नम्बर–6, 14 से 16, 25 कुल 11 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 2.910 हैक्टेयर की एकल खातेदार है। उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या–3 को राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। यदि बैंक ऋण हो तो चुकता होने पर ही राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे।

.......................X.......................लीज.................X.............................मुबलिग..............X.......
.......................X.......................बाबत.....................X..........................खर्चा इस मुकदमे के मय
सूद वशरह.........................X...
से तारीख वसूलयाबी तक ....
बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 15 माह 1 सन् 2018 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

विवरण पक्षकार

अमरजीत कौर धर्मपत्नि स्व0 श्री मोठा सिहं पुत्र स्व0 श्री शेर सिहं, जाति जटसिख, निवासी वार्ड नम्बर–43, सुरेशिया, हनुमानगढ़ जं0, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
––वादिया––

बनाम

1. महेन्द्र कौर (पुत्री स्व0 श्री शेर सिहं) धर्मपत्नि श्री दलीप सिहं, जाति जटसिख, निवासी चक ज्वालासिहंवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (पंजाब)
2. बृज कौर उर्फ सरजीत कौर (पुत्री स्व0 श्री शेर सिहं) धर्मपत्नि श्री शेर सिहं, जाति जटसिख, निवासी चक बीडसरकार, तहसील व जिला मुक्तसर (पंजाब)
3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

––प्रतिवादीगण––

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner